

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय अधिकार में

2019 की विविध अपील सं.363

राम प्रवेश कुमार, लाल बाबू साह @ राजेश भूषण के पुत्र, गाँव- नारंगा के निवासी,
पी.एस./थाना- बेला, जिला- सीतमढ़ी के निवासी हैं।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

अमृता कुमारी, राम प्रवेश कुमार की पत्नी, गाँव- नारंगा, पी.एस./थाना- बेला, जिला- सीतमढ़ी
की निवासी हैं।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9
- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1)

संदर्भित मामले:

- समर घोष बनाम जया घोष 2007 में रिपोर्ट किया गया (4) एससीसी 511

अपील - उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता-पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु तलाक की डिक्री के लिए दायर वैवाहिक वाद को खारिज कर दिया गया था।

निष्कर्ष - अपीलकर्ता-पति को दांपत्य जीवन से वंचित करने के आरोप के संबंध में यह देखना प्रासंगिक है कि स्वयं अपीलकर्ता-पति ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वे अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल में पति-पत्नी की तरह रहे। साथ ही यह भी पाया गया कि जब प्रतिवादी-पत्नी अपने मायके चली गई, तो अपीलकर्ता-पति ने दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। (पैरा 21)

जहाँ तक क्रूरता के आधार का प्रश्न है, अपीलकर्ता-पति प्रतिवादी-पत्नी द्वारा अपने और अपने परिवार के प्रति क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है। चूंकि इस मामले में तलाक की मांग प्रतिवादी द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार के आधार पर की गई थी, इसलिए क्रूरता साबित करने का भार अपीलकर्ता-पति पर था। इसके अलावा, कभी-कभी दांपत्य जीवन में किसी भी पक्ष द्वारा कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग या मामूली धमकी देना स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन यह तलाक का वैध और स्थायी आधार नहीं हो सकता। किसी एक पक्ष द्वारा कहे गए तुच्छ शब्द या टिप्पणी अथवा मात्र धमकी को क्रूरता का वह स्तर नहीं माना जा सकता, जिसकी कानूनी रूप से तलाक की डिक्री के लिए आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के स्वभाव की कठोरता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन स्तर, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भिन्न हो सकती है। (पैरा 22)

जहाँ तक प्रतिवादी-पत्नी के अपने ही गांव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के आरोप का संबंध है, अपीलकर्ता-पति ने न तो कथित व्यभिचारी को इस वाद में पक्षकार बनाया और न ही इस अवैध संबंध को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया। गवाहों द्वारा दिया गया बयान अधिकतम संदेह उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है। (पैरा 23)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 25)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह

कैव जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह)

तारीख: 17-01-2025

पक्षकारों को सुना।

2. वर्तमान अपील परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2013 के वैवाहिक मामला संख्या 56 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा पारित दिनांक 29.03.2019 के फैसले पर आक्षेप/विरोध किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए, विवाह विच्छेद पर, क्रूरता और त्याग/परित्याग/अभित्यजन के आधार पर, वैवाहिक मुकदमा खारिज कर दिया गया है।

3. परिवार न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार अपीलार्थी-पति का मामला यह है कि अपीलार्थी-पति का विवाह प्रतिवादी-पत्नी के साथ एक मंदिर में हिंदू अधिकारों और रीति-रिवाज के अनुसार 11.03.2012 को किया गया था। शादी के बाद, 13.03.2012 को, अपीलार्थी-पति भारतीय रेलवे में काम करने चला गया और उसकी पत्नी-प्रत्यर्थी अपने वैवाहिक घर में रहने लगी। दिनांक 20.06.2012 को जब अपीलार्थी-पति छुट्टी पर अपने घर आया, तो उसने पाया कि प्रत्यर्थी का उसकी सास और ससुर के साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था। वह मामूली मुद्दों पर उनके साथ दुर्व्यवहार और झगड़ा करती थी और हमेशा आत्महत्या करने और परिवार के सदस्यों को हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देती थी। अंततः, अपीलार्थी-पति के पिता ने प्रतिवादी के व्यवहार और उनकी सुरक्षा के लिए एस. एच. ओ., बेला के समक्ष एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी-पति ने भी अपनी पत्नी-प्रतिवादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे।

06.08.2012 को, अपीलार्थी-पति की अनुपस्थिति में, प्रत्यर्थी ने अपने पिता और चाचा को बुलाया और गुप्त रूप से रात में अपने सभी सामानों के साथ उसके माता-पिता के घर चली गई, जिसके लिए अपीलार्थी-पति ने 08.08.2012 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जो लंबित है। इस बीच, प्रतिवादी ने अपीलार्थी-पति और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत मामला दर्ज किया। अपीलार्थी-पति ने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी शादी से पहले एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में है। वह शादी से पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ गर्भवती भी हो गई और जब उसके माता-पिता को इसके बारे में पता चला, तो उसके पिता उसकी शादी अपीलार्थी-पति से शादी करना चाहते थे जो भारतीय रेलवे में काम कर रहे थे। अपीलार्थी के पिता प्रत्यर्थी के चरित्र से अवगत थे जिसके कारण उन्होंने प्रत्यर्थी के साथ अपने बेटे की शादी करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी के पिता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अपीलार्थी-पति के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया कि वह अपीलार्थी-पति से गर्भवती हो गई थी और उसकी शादी आपराधिक बल प्रयोग करके अपीलार्थी-पति से कराई गई थी। प्रतिवादी 06.08.2012 से अपने माता-पिता के घर में रह रही है और नियमित रूप से उस व्यक्ति से मिलती है जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे और अपीलार्थी-पति को मानसिक रूप से परेशान करती है जिसके कारण उसे उसके साथ रखना मुश्किल होता है और उसके लिए कोई भविष्य नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी-पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।

4. उपरोक्त मामला दायर करने के बाद, ओ.पी/ प्रत्यर्थी अदालत द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में पेश हुई और अपना जवाब/लिखित बयान दायर किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा समर्पित किया जाता है कि विवाह से पहले, अपीलार्थी-पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था और उपरोक्त मामले में समझौता करने के बाद एक मंदिर में विवाह किया गया था। उसने स्वीकार किया कि यह अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी के बीच एक प्रेम विवाह था। विवाह के बाद, अपीलार्थी-पति पोस्टिंग के अपने स्थान पर चले गए और वह अपने वैवाहिक घर में रहने लगी जहाँ उसे उसके ससुराल-परिवार के सदस्यों

द्वारा प्रताड़ित किया गया था। प्रतिवादी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है और उसने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मामला भी दर्ज किया है जिसमें 5000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था। वह इस बात से इनकार करती है कि वह उसके ससुराल वालों के साथ दुर्यवहार करती थी और आत्महत्या करने की धमकी देती थी। वह किसी के साथ अवैध संबंध रखने से भी इनकार करती है। प्रत्यार्थी-पत्नी स्वीकार करती है कि वह अभी भी अपीलार्थी-पति के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार है।

6. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी/प्रतिद्वंदी दलीलों के आधार पर, इस मामले में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:-

- (i) क्या दायर की गई अपील विचारणीय है?
- (ii) क्या अपीलार्थी को अपील के लिए कार्रवाई का वैध कारण मिला है?
- (iii) क्या अपील पर परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है?
- (iv) क्या अपील छुट, स्वीकृति और रोक के सिद्धांतों के अनुसार वर्जित है,?
- (v) क्या पक्षकारों के विवाह को प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपीलार्थी के पक्ष में शून्य घोषित किया जाए और शून्यता की डिक्री दी जाए?
- (vi) क्या अपीलार्थी किसी राहत या राहतों का हकदार है, जिसके लिए प्रार्थना की गई है?

7. अपना मामला साबित करने के लिए, अपीलार्थी-पति ने अपनी याचिका के समर्थन में परिवार न्यायालय के समक्ष तीन गवाहों राजेश भूषण उर्फ लाल बाबू (पीडब्लू 1), राम प्रवेश कुमार (पीडब्लू 2) और रामस्वर्थ साह (पीडब्लू 3) का साक्ष्य कराया है। अपीलार्थी-पति की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पी. डब्ल्यू. 1 राजेश भूषण उर्फ लाल बाबू अपीलार्थी-पति के पिता हैं जिन्होंने बयान दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 313/511 के तहत मामला दर्ज किया है और उपरोक्त मामले में समझौते के बाद शादी की

गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी-पत्नी के कई व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध हैं, हालांकि उसने विशेष रूप से किसी का नाम नहीं लिया है। इस गवाह ने यह भी बयान दिया है कि उसका बेटा-अपीलार्थी रेलवे में काम करता है। इस गवाह ने आगे कहा कि अपीलार्थी-पति ने दूसरी शादी की है लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया।

9. पी. डब्ल्यू. 2 स्वयं अपीलकर्ता-पति है जिसने बयान दिया है कि वह ग्वालियर एन. सी. आर., रेलवे में सिग्नल टेली कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है और प्रतिवादी-पत्नी ने एक भरण-पोषण का मामला दायर किया है जिसमें उसे 5000/- रुपये का प्रति माह उत्तरदाता-पत्नी के भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि निम्न न्यायालय के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश के बावजूद वे उपरोक्त मामले में उपस्थित नहीं हुए। उसने गवाही दी कि वह रु 42000/- प्रति माह वेतन के रूप में कमाता है। इस गवाह ने आगे कहा कि शादी के बाद वह अपनी नौकरी पर चला गया, उसके बाद, प्रतिवादी-पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती थी और उन्हें धमकी देती थी कि वह आत्महत्या कर लेगी। उन्होंने प्रत्यर्थी-पत्नी के साथ समझौते की तारीख का उल्लेख नहीं किया है और यह भी स्पष्ट करता है कि बलात्कार का मामला पहले प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज किया गया था और इसे समझौते के आधार पर सुलझा लिया गया है। उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने प्रतिवादी-पत्नी को अपने कार्यस्थल पर ले जाने की कोशिश नहीं की और न ही उन्होंने अपने जी. पी. एफ. और अन्य निधियों में प्रतिवादी का नाम दिया है। उसने अपनी दूसरी शादी से इनकार किया है और इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वह दहेज के लालच में दूसरी बार शादी करने के बाद प्रतिवादी-पत्नी को तलाक देना चाहता है।

10. पी. डब्ल्यू. 3 रामेश्वर साह है जिसने अपीलार्थी-पति के दावे का समर्थन किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने बिना बुलाए सबूत के लिए अदालत में आने की बात स्वीकार की और यह भी स्वीकार किया कि वह प्रतिवादी-पत्नी से कभी नहीं मिला।

11. मुकदमे के दौरान, प्रतिवादी-पत्नी ने तीन गवाहों को भी पेश किया है, अर्थात् अमृता कुमारी (पीडब्ल्यू 1), स्वयं प्रतिवादी, राजकिशोर साओ (पीडब्ल्यू 2) और ब्रज किशोर दास (पीडब्ल्यू 3)।

12. पीडब्ल्यू 1 अमृता कुमारी स्वयं प्रतिवादी-पत्नी हैं। जिसने यह बयान दिया है कि विवाह से पहले, अपीलार्थी-पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था और वह बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई थी और विवाह के बाद, अपीलार्थी-पति ने बच्चे के गर्भपात के लिए उसे दवा दी और गर्भपात का कोई अलग मामला दर्ज नहीं किया गया था और विवाह के बाद, अपीलार्थी-पति और उसकी माँ के अनुरोध पर, उसने समझौता किया और मामला वापस ले लिया और यह भी स्वीकार किया कि विवाह एक-दूसरे को माला पहनाकर किया गया था जहां दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार मौजूद थे। उसने स्वीकार किया कि यह अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी के बीच एक प्रेम विवाह था। उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी-पति द्वारा शादी के वादे पर उन्होंने 2009 से 2012 तक अनगिनत बार शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। उसने स्वीकार किया कि शादी दोनों पक्षों के अभिभावकों की सहमति से की गई थी। वह मानती है कि शादी के बाद, अपीलार्थी-पति उसकी पोस्टिंग के स्थान पर गया और वह अपने वैवाहिक घर में रहने लगी। वह स्वीकार करती है कि 2012 के बाद से उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। उसने आगे कहा कि उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है और उसने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मामला भी दर्ज किया है जिसमें 5000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था। वह इस बात से इनकार करती है कि वह उसके ससुराल वालों के साथ दुर्व्यवहार करती थी और आत्महत्या करने की धमकी देती थी। वह किसी के साथ अवैध संबंध रखने से भी इनकार करती है। अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया कि 09.07.2017 पर, उसके पति ने अदालत परिसर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पीटा, लेकिन उसने इसके लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके अलावा उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं जानती कि उसके पति ने किसके साथ शादी की थी। वह इस आरोप से इनकार करती है कि उसके गहने और कपड़े छीन लिए गए थे और वह इस आरोप से भी इनकार

करती है कि वह अपीलार्थी-पति के साथ नहीं रहना चाहती है। उसने स्वेच्छा से यह भी कहा कि अगर उसका पति उसे अभी ले जाता है, तो वह उसके साथ जाने के लिए तैयार है लेकिन वह उसे नहीं ले जाता है।

13. पी. डब्ल्यू. 2 राजकिशोर साव प्रत्यर्थी के पिता हैं। जिसने प्रतिपरीक्षा में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो पी. डब्ल्यू. 1 की प्रतिपरीक्षा में कहा गया है।

14. पी. डब्ल्यू. 3 ब्रज किशोर दास प्रतिवादी-पत्नी के चाचा हैं, जिन्होंने पुलिस स्टेशन के माध्यम से पक्षों के बीच प्रेम विवाह, बलात्कार के मामले और सुलह के बाद विवाह के बारे में गवाही दी है। उन्होंने गवाही दी कि शादी के 7 दिनों के बाद, अपीलार्थी-पति अपनी पोस्टिंग के स्थान पर गया और तब से प्रतिवादी-पत्नी कभी भी अपीलार्थी-पति से मिलने नहीं गई। उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलार्थी-पति के पिता द्वारा दर्ज किए गए मामलों में वे आरोपी थे। वह इस बात से भी इनकार करता है कि प्रतिवादी-पत्नी अपने ससुराल के परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती थी।

15. हालाँकि, अपीलार्थी-पति के विद्वान वकील, इस आधार पर विवादित फैसले पर हमला करते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी-पति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की ठीक से सराहना नहीं की है और याचिका को गलत तरीके से कोई आधार साबित नहीं पाते हुए खारिज कर दिया है। वह प्रस्तुत करता है कि साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी-पति ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके खिलाफ क्रूरता की है क्योंकि उसने अपने माता-पिता के घर वापस जाकर उसे उसके वैवाहिक सहवास से वंचित कर दिया है। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी-पति ने साबित कर दिया है कि पत्नी-प्रतिवादी का एक ग्रामीण के साथ भी अवैध संबंध है और ऐसा संबंध तलाक के लिए एक अच्छा/उचित आधार है।

16. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का आरोप गलत और निराधार है। वास्तव में, प्रत्यर्थी-पत्नी ट्यूशन के लिए अपीलार्थी के गाँव जाती थी, इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी-पति को प्रत्यर्थी-पत्नी से प्यार हो गया और शादी करने का वादा करने पर, उसने प्रत्यर्थी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए

जिसके कारण प्रत्यर्थी-पत्नी गर्भवती हो गई। इस बीच, अपीलार्थी-पति को रेलवे में नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद, उसने प्रत्यर्थी-पत्नी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया जिसके लिए प्रत्यर्थी के पिता ने पंचायत की मदद से मामले को सुलझा लेने के कई प्रयास किए लेकिन अपीलार्थी के पिता ने प्रत्यर्थी के साथ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया। अंततः, प्रत्यर्थी-पत्नी ने अदालत के समक्ष 2012 का शिकायत मामला संख्या 336 दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-पति ने अपनी नौकरी खोने और कारावास के खतरे के डर से दोनों पक्षों के रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की उपस्थिति में एक मंदिर में 11.03.2012 को प्रत्यर्थी-पत्नी के साथ शादी कर ली। विवाह के बाद, अपीलार्थी-पति प्रत्यर्थी-पत्नी को अपनी नौकरी के स्थान पर अपने साथ नहीं ले गया। इसके बाद प्रत्यर्थी-पत्नी को मारुति ऑल्टो कार की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया और पैसे नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, खाना और पानी देना बंद कर दिया। वे किसी भी तरह प्रतिवादी-पत्नी को वैवाहिक घर से बाहर निकालना चाहते थे और अंततः 01.09.2012 पर वे उसका सारा स्त्रीधन ले गए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपीलार्थी-पति के पिता ने एस. एच. ओ., बेला पुलिस स्टेशन के समक्ष 08.07.2012 पर एक आवेदन दायर किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी-पत्नी अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती थी और दुर्व्यवहार करती थी। अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी के किसी के साथ अवैध -संबंध के संबंध में कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है। प्रत्यर्थी-पत्नी ने 2012 का भरणपोषण मामला संख्या 113 भी दायर किया है जिसमें अपीलार्थी-पति को 5000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का 12.01.2017 पर निर्देश दिया गया था। लेकिन अपीलार्थी-पति ने नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। इसके बाद, 2018 का निष्पादन मामला संख्या 1 दायर किया गया था जिसके तहत निष्पादन न्यायालय ने अपीलार्थी-पति को 3,95,000/- रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। -लेकिन अपीलार्थी-पति उक्त मामले में पेश नहीं हो रहा था, लेकिन वह वर्तमान तलाक के मामले में पैरवी कर रहा था। 2019 में यह तलाक याचिका दायर करने के बाद, मई, 2021 से, अपीलार्थी-पति

5000/- रुपये प्रति माह का भुगतान कर रहा है। लेकिन उसने 2018 के निष्पादन मामले संख्या 1 में निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्देशित देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

17. इस न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, अपीलार्थी-पति के साथ-साथ प्रत्यर्थी-पत्नी दोनों व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

18. प्रतिद्वंद्वी दलीलों और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलार्थी अपनी अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

19. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन और अपीलार्थी-पति के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि जहां तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता दूसरे पति या पत्नी के चरित्र और आचरण को ध्यान में रखते हुए एक उचित आशंका है कि प्रतिवादी-पत्नी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और अहितकर होगा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुखअग्रणी मामले में 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में रिपोर्ट/दर्ज किए गए मामले में बताया कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस उपचार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए। अधिक मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

21. प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति को वैवाहिक जीवन से वंचित करने के आरोप के संबंध में, यह पता लगाना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी-पति ने स्वयं दलील दी है/ कि वे उसके वैवाहिक घर में रहने के दौरान पति और पत्नी की तरह रहते थे और यह भी पता चला कि जब वह अपने माता-पिता के घर वापस गई, तो उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया।

22. जहाँ तक क्रूरता के आधार का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलार्थी-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रत्यर्थी के क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य के बल पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता के सबूत का बोझ इस मामले के अपीलार्थी-पति पर है, क्योंकि उसने प्रत्यर्थी के क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक से राहत मांगी है। इसके अलावा, कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का उपयोग कभी-कभी पति और पत्नी के दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में दूसरे जीवनसाथी को प्रतिकार करने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए एक उचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता है। कुछ तुच्छ बयान या टिप्पणियों या केवल एक पति या पत्नी को दूसरे को धमकी देने को क्रूरता के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके की कठोरता और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े, जीवन के अलग-अलग स्तर पर रहने वाले, अपनी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में अपनी स्थिति रखने वाले व्यक्ति से अलग हो सकती है जिसमें वे रहते हैं।

23. जहाँ तक प्रत्यर्थी-पत्नी के गाँव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के आरोप का संबंध है, अपीलार्थी-पति ने न तो कथित व्यभिचारी जिसने उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखा को नामित किया है और न ही व्यभिचारी के साथ कथित अवैध संबंध को साबित करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष सबूत है उसके पास है। कथित अवैध संबंधों के संबंध में गवाहों का बयान संदेह के बराबर है न कि सबूत।

24. इसलिए, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देता है। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी-पति के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

25. विवादित फैसले की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(एस. बी. पी. सिंह, न्यायाधीश)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायाधीश)

शागीर/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।